स्मृति नगर में जल संसाधन विभाग के भूखंड पर से अतिक्रमण हटाया गया नगर निगम भिलाई, निगम दुर्ग एवं पीएचई विभाग का संयुक्त कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम में प्राप्त शिकायत के अनुसार स्मृति नगर में जल संसाधन विभाग नहर के भूखंड पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण किया जा रहा था। जिसकी शिकायत मिलने के बाद नगर निगम, जल संसाधन विभाग एवं नगर निगम दुर्ग के संयुक्त कार्यवाही करके अवैध कब्जे को रिक्त कराया गया। जल संसाधन विभाग का नहर है। जिसके माध्यम से गर्मी के दिनों में तालाबों को भरा जाता है। एवं बारिश का पानी भी उसे निकाल कर आगे चल जाता है। भिलाई एवं दुर्ग के सीमा से लगा हुआ यह क्षेत्र है इसीलिए संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। पीएचई का खसरा नंबर 901 रकबा 1.5 के लगभग हेक्टर रिक्त भूमि है। जो नहर से लगा हुआ है। उस पर बिना अनुमति एवं प्रमाणिक दस्तावेज के निर्माण किया जा रहा था । जिसे नगर निगम भिलाई, जल संसाधन विभाग एवं नगर निगम दुर्ग के द्वारा पुलिस बल के सहयोग से संयुक्त कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कार्यवाही को संपादित करवाये। इसके साथ ही देखने में आ रहा है कि स्मृति नगर का मुख्य मार्ग में होटल व्यवसाय, रेस्टोरेन्ट, खाने–पीने फास्ट फूड की दुकान खुल गई है। वहां पर बहुत सारे युवा वर्ग एवं परिवार के साथ भी लोग आकर के खाने–पीने का आनंद उठाते हैं। अधिकतर दुकानदारों द्वारा नाली के ऊपर अतिक्रमण करके अपने आगे सेट बनाकर के दुकान को आगे बढ़ा लिया गया था। जिसके कारण नाली सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी। शाम के समय ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। सड़कों के ऊपर बेतरकीब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। जिससे आए दिन दुर्घटना होते रहती है आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नाली के ऊपर अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही की गई है। कुछ दुकानों में खाने की सामाग्री बासी पाई गई, प्रतिबंध झिल्ली प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा था। सभी पर कार्यवाही करते हुए चालान 20,300–00 रूपये काटकर रसीद प्रदान किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से साउथ इंडियन इटली डोसा सेंटर सिंघल यूज प्लास्टिक1000 रू, कौशलेंद्र कुमार गुप्ता सड़क बाधा 2000 रू, सिगड़ी इटली डोसा नाली में खाद्य पदार्थ डाले जाने 8000 रू, बनारसी जूस कार्नर गिला सुखा 300 रू, जितेश जंगल द केक वर्ल्डसिंघल यूज 5000 रू, रुद्धाशु द केक बॉस सिंघल यूज 4000 रू, कुल राशि 20,300 रूपये। कार्यवाही के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, जोन राजस्व अधिकारी प्रसन्न तिवारी, तोडफोड प्रभारी अधिकारी हरिओम गुंप्ता, विनोद शुक्ला, नंदू सिन्हा, शशांक सिंह, मंगल जांगड़े, राजेंद्र सिंह, विष्णु सोनी आदि उपस्थिति रहे।